संख्या- 2/2015/1830/62-1-2014-1105/2013टीसी

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 13 जनवरी, 2015

विषय– चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत शासकीय भवनों पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्ज प्रणाली की स्थापना तथा भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं समग्र मैपिंग योजनाओं की धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 903जी/भू0ज0वि0/बी-1/डब्लू (आयोजनागत) दिनांक 04 दिसम्बर 2014 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-29014-231/2014, दिनांक 22-7-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत भूगर्भ जल के कार्यक्रम की आयोजनागत पक्ष में 02 नई योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 46620 हजार (रूपये चार करोड छाछठ लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि निमन विविरणानुसार महामहिम राज्यपाल आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते हैं:-

(1) शासकीय भवनों पर रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्ज प्रणाली की स्थापना

अनुदान संख्या- 13 (धनराशि हजार रूपये में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक/मद	आय-व्ययक प्राविधान 2014-15 की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत व्यय हेतु स्वीक़त की जाने वाली धनराशि का विवरण
''लेखाशीर्षक-2702-लघुसिंचाई(क्रमश:)-आयोजनागत-02-भूजल(क्रमश:)-005-अन्वेषण (क्रमश:)-08-शासकीय भवनों पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली ।''			
1	08-कार्यालय व्यय	275	275

2	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	85	85
3	15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	125	125
4	18-प्रकाशन	125	125
5	31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	150	150
6	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफटवेयर का क्रय	140	140
7	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	125	125
	योग	1025	1025
4702-लघुसिंचाई-आयोजनागत-102-भूजल-005-अन्वेषण(क्रमश:)-06-शासकीय भवनों पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली।''			
1	25-लघु निर्माण कार्य	28975	28975
	योग	28975	28975
	कुल योग	30000	30000

(2) भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं समग्र मैपिंग योजना

अनुदान संख्या-13 (धनराशि हजार रू0 में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक/मद	आय-व्ययक प्राविधान 2014-15 की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत व्यय हेतु स्वीक़त की जाने वाली धनराशि का विवरण
''लेखाशीर्षक-2702-लघुसिंचाई(क्रमश:)-आयोजनागत-02-भूजल(क्रमश:)-005-अन्वेषण (क्रमश:)-09-भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मैपिंग ।''			
1	08-कार्यालय व्यय	150	150
2	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	50	50
3	13-टेलीफोन	100	100
4	15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	400	400
5	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	15120	15120
6	18-प्रकाशन	300	300

7	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	300	300
8	29-अनुरक्षण	100	100
9	31-सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन)	100	100
	योग	16620	16620

सम्पूर्ण योग-1+2=46620 हजार (रूपये चार करोड छाछठ लाख बीस हजार मात्र)

2- उपर्युक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी :-

(1) उपर्युक्त समस्त धनराशि के आहरण, व्यय एवं प्रबन्धन में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-7-2014 में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त अनुदेशों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधिनों/शासनादेशों का अनुपालन अक्षरश: अवश्यमेव सुनिश्चित किया जाय।

(2) अवमुक्त धरनाराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय ।

(3) अवमुक्त धरनाराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाये।

(4) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक वयय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(5) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण मुख्य, लघु उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अवश्य अंकित किया जाये और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना निदेशक, भूगर्भ जल विभाग के माध्यम से शासन को दी जायेगी।

(6) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0 बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का एक मुश्त आहरण कदापि न किया जाय। आवश्यकतानुसार स्वीकृत धनराशि का आहरण किश्तों में किया जाय।

(8) अवमुक्त धरनाराशि के समक्ष किये गये व्यय के निम्नलिखित व्ययों को निर्धारित रूप पत्रों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों तक निदेशक, भूगर्भ जल विभाग को आगामी माह की 05 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराये जायें।

1- मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2- आवंटन का समर्पण	15-03-2015

3- शासन के पत्र संख्या-9/1603/62-1-2014-1105/2013 टीसी, दिनांक 04 दिसम्बर, 2014 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- तत्सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अनुदान संख्या–13 के अधीन सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

ह0/-

(चन्द्र प्रकाश)

प्रमुख् सचिव ।

संख्या- 2/2015/1830(1)**/62-1-2014, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3- नियोजन अनु0-3, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनु0-2, उ0प्र0शासन।
5- वित्त (आय-व्ययक), अनु0-1, उ0प्र0शासन।
6- निदेशक, सूचना।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- एन0आई0सी0 की प्रति।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(ओम नारायण अहिरवार)

अनु सचिव